न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः—224/17 (आरसीएमएस नं.2017/00180)

1. रामूराम उर्फ रामलाल पुत्र स्व. श्री रूडाराम जाति मीना, निवासी भोजपुराकलां, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. भागीरथ पुत्र स्व. श्री रूडाराम, जाति मीना निवासी भोजपुराकलां, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।
2. शंकरलाल पुत्र स्व. श्री रूडाराम, जाति मीना, निवासी भोजपुराकलां, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।
3. सत्यनारायण पुत्र स्व. श्री रूडाराम, जाति मीना, निवासी भोजपुराकलां, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।
5. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड शाखा श्री कर्ण नरेन्द्र सिंह एग्रीकल्चर विश्वविधालय जोबनेर, जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 07.02.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चतुर्थ, जयपुर के आदेश दिनांक 28.12.11 (प्रकरण संख्या 9/11) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अलावा दीगर आराजीयात के आराजी खसरा नम्बर 538 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा ग्राम भोजपुराकलां, तहसील फुलेरा हाल तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर मुताबिक अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्ध यह तहरीर करते हुये अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई कि उक्त आराजी सहित अन्य आराजी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी है जिसका खातेदार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को घोषित किया जावें जबकि उक्त खसरा नम्बर 538 अपीलान्ट को आवंटित आराजी है, न कि संयुक्त कब्जे काश्त की, दावा न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक जयपुर में उनवानी भागीरथ बनाम रामू उर्फ रामलाल व अन्य प्रकरण संख्या 22/2007 नया नम्बर 417/2008 बाबत इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा का दर्ज हुआ जिसमें अपीलान्ट की तामील प्रोपर नही हुई और एकतरफा में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वाद जरिये निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2009 डिक्री कर दिया गया, उक्त वाद में अपीलान्ट ने आदेश 9 नियम

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

13 सी.पी.सी. के तहत आवेदन पेश किया जो आदेश दिनांक 04.03.2011 से स्वीकार किया गया परिणामतः न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक जयपुर द्वारा पारित एकतरफा डिक्री अपास्त हो गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक जयपुर द्वारा पारित एकतरफा डिक्री दिनांक 16.02.2009 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा नामान्तरकरण संख्या 892 दिनांक 29.05.2009 को तस्दीक किया गया। उन्होने कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 892 दिनांक 29.05.2009 के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.03.2011 को अपीलान्ट ने सम्पूर्ण वाकियात के साथ अपील पेश की जिसे प्रथम अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर चतुर्थ जयपुर ने मामला हाजे के तथ्यों को समझे बगैर आनन–फानन में अपीलान्ट को सुनवाई का माकूल अवसर न देकर सुनवाई के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.11 पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह मत प्रकट किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की क्रियान्विति को स्थगित अथवा निरस्त कराना चाहते है तो वाद विचारण सक्षम न्यायालय में अपीलान्ट को चाराजोही करनी चाहिये जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण जिस एकतरफ डिक्री के आधार पर तस्दीक किया गया है वो एकतरफा डिक्री ही अपास्त कर दी गई है तो ऐसे नामान्तरकरण का क्या प्रभाव रहेगा, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय को एकतरफा डिक्री के आधार पर तस्दीक प्रश्नगत नामान्तरकरण जो एकतरफा डिक्री अपास्त हो जाने के कारण निष्प्रभावी हो चुका है, को निरस्त कर देना चाहिये था क्योंकि प्रश्नगत नामान्तरकरण का वजूद ही समाप्त हो गया है इस लिहाज से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.11 निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह मत भी प्रकट किया है कि नामान्तरकरण जैसी फिसकल कार्यवाही को अपास्त कराने के लिये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 का समर्थन लिया जाना न्यायसंगत नही है, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि लेजिसलेचर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत ही नामान्तरकरण गलत है या सही का निर्धारित किया जाना प्रावधित किया है, इस लिहाज से भी प्रश्नागत निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत मामले के सम्पूर्ण वाकियात व दस्तावेजात अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये थे जिससे स्पष्ट था कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में वर्णित खसरा नम्बर 538 अपीलान्ट को आवंटित आराजी है जिसके मुताबिक रेस्पाडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दावा न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक जयपुर ने आराजी उक्त को संयुक्त कब्जे काश्त की मानते हुये निर्णय व डिक्री की है जो अपास्त हो गई है फिर भी निष्प्रभावी प्रश्नागत नामान्तरकरण को प्रथम

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलीय न्यायालय ने खारिज न करने में भारी विधिक भूल की है, जो समरेली निरस्तनीय है। अतः अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फ़रमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.11 को व उप तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 892 ग्राम भोजपुराकलां दिनांक 29.05.2009 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 892 दिनांक 29.05.2009 सहायक कलक्टर सांभरलेक के निर्णय एवं डिक्री की पालना में स्वीकार किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही की गई है तथा नामान्तरकरण की कार्यवाही तो एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें किसी भी पक्षकारान के हक, हकूक, अधिकार तय नही होते है जबकि पक्षकारान के मध्य नियमित वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है और पक्षकारान के हक, हकूक अधिकार नियमित वाद में ही तय होगे ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2011 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 892 सहायक कलक्टर, सांभरलेक द्वारा पारित डिक्री एवं आज्ञा की पालना में 29.05.2009 को स्वीकार किया गया है तथा सहायक कलक्टर, सांभरलेक के आदेश दिनांक 04.03.11 से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 स्वीकार किया जाकर एकतरफा पारित डिक्री को अपास्त कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में जब सहायक कलक्टर, सांभरलेक के आदेश दिनांक 04.03.11 द्वारा एकतरफा डिक्री को ही अपास्त किया जा चुका है तो उक्त डिक्री के आधार पर स्वीकार किये गये नामान्तरकरण संख्या 892 दिनांक 29.05.2009 का कोई वजूद वर्तमान में नही रहा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2011 पारित किया गया है जिसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चतुर्थ जयपुर

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2011 एवं नामान्तरकरण संख्या 892 वाके ग्राम भोजपुराकलां पर पारित आदेश दिनांक 29.05.2009 को निरस्त किया जाता है। चूँकि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें किसी भी पक्षकार के हक, हकूक, अधिकार तय नही होते तथा पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध मे सक्षम न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान के हक, हकूक, अधिकार तय होने अभी बाकी है, ऐसी स्थिति में सक्षम न्यायालय में विचाराधीन नियमित वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखी जाने के आदेश भी दिये जाते है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।